राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः डीसी/विधि/2017/13 दिनांक :– 16-01-2017

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषयः– प्रकरण सं0 558/2003 सरकार बनाम मै0 सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड द्वारा दिनांक 15.12.2016 को पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 15.12.2016 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई–मेल भी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (33)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालावाड़ (राजस्थान)।
पीठासीन अधिकारी — पवनकुमार वर्मा, R.J.S.
आप0नियमित प्रकरण सं0 558/2003

सरकार जरिये संजय पारीक औषधि निरीक्षक, मुख्यालय झालावाड़(राज0)
.....परिवादी

ब ना म

1—मैं0 सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी—75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला—गाजियाबाद(उत्तरप्रदेश)
—जरिये एस0डी0गर्ग पुत्र श्री के0एस0गर्ग, मेनेजिंग डायरेक्टर।

2—एस0डी0गर्ग पुत्र श्री के0एस0गर्ग, मेनेजिंग डायरेक्टर, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी—75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला—गाजियाबाद(उत्तरप्रदेश) निवास पता—1735/8/2 मंगल बिल्डिंग, भागीरथ पैलेस, देहली—6

3—एस0के0गर्ग पुत्र रामप्रसाद गर्ग डायरेक्टर, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी—75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला—गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) निवास पता— 240,कादम्बरी अपार्टमेंट, सेक्टर—9, रोहिणी, देहली।

4—श्रीमति मीनाक्षी गर्ग पत्नी सुखदेव गर्ग, डायरेक्टर, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी—75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला—गाजियाबाद(उत्तरप्रदेश) निवास पता— 289,R-Modal Town सोनीपत(हरियाणा)।

5—अनिल कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री डी0एन0गुप्ता,Approved manufacturing chemist, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी—75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला—गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) निवास पता— 80 साउथ गणेश नगर पटपड़गज रोड़, दिल्ली—110092

6—अशोक कुमार पुत्र रामसिंह, Approved manufacturing chemist, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी—75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला—गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) निवास पता—ग्राम अजीतपुरा डा0मेडू, तहसील—हाथरस जिला—अलीगढ़।

7—अशोक कुमार शर्मा पुत्र एस0आर0शर्मा Approved analytical chemist, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी—75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला—गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) निवास पता— बी—234 लाजपतनगर साहिबाबाद जिला—गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश)

8--मै0 सिमको रेमीडीज, 263, पहलामाला, दवा बाजार, 13--14 आर0एन0टी0 मार्ग इन्दौर(म0प्र0)

जरिये– मालिक श्री संतोष कुमार ढींग पुत्र समरथमल ढींग।

9–संतोष कुमार ढींग पुत्र समरथमल ढींग, **मालिक**–मै0 सिमको रेमीडीज, 263, पहलामाला, दवा बाजार, 13–14 आर0एन0टी0 मार्ग इन्दौर(म0प्र0) निवास पता– 60, छोटा सर्राफा उज्जैन(म0प0)

10–मैं0 मेडिट्रेड एजेन्सीज 34–79, एल0जी0, दवा बाजार 13–14 आर0एन0टी0 मार्ग इन्दौर(म0प्र0)

जरिये मालिक धर्म कुमार पुत्र चेतनदास।

11–धर्मकुमार पुत्र चेतनदास मालिक मैं0 मेडिट्रेड एजेन्सीज 34–79, एल0जी0, दवा बाजार 13–14 आर0एन0टी0 मार्ग इन्दौर(म0प्र0) निवास पता 65 प्रेमनगद, इन्दौर(म0प्र0)

12–मैं0 जैन ट्रेडर्स, मंगलपुरा झालावाड़(राज0)

जरिये मालिक एवं कम्पीटेन्ट व्यक्ति नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र मेघराज जैन

13–नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र मेघराज जैन मालिक एवं कम्पीटेंट व्यक्ति, मैं0 जैन ट्रेडर्स, मंगलपुरा झालावाड़(राज0) निवास पता वार्ड नं06 मंगलपुरा झालावाड(राज0) .....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 18a(i), 18(a)(vi), 18(c)
सपठित धारा 27(a), 27(b)(i) एवं 27(d)
DRUG AND COSMETICS ACT,1940

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री सहायक लोक अभियोजक राज0सरकार की ओर से।

2–श्री विजय जैन अधिवक्ता, अभियुक्त सं0 06 की ओर से।

3–श्री संजय सक्सेना, अधिवक्ता अभियुक्त सं0 12,13 की ओर से।

4–सर्वश्री धीरजसिंह झाला एवं श्री रमेशचंद शर्मा, अधिवक्ता शेष अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 15.12.2016

अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अन्वीक्षा अपराध अन्तर्गत धारा धारा 18a(i), 18(a)(vi), 18(c) सपठित धारा 27(a), 27(b)(i) एवं 27(d) DRUG

AND COSMETICS ACT,1940 (जिसे इस निर्णय में आगे अधिनियम से सम्बोधित किया जायेगा) के आरोप के तहत की गयी है।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.6.98 को तत्कालीन औषधि निरीक्षक श्री एस0सी0 जैन द्वारा एस0आर0जी0(श्री राजेन्द्र सामान्य)चिकीत्सालय,झालावाड़ के स्टोर से तत्कालीन स्टोर कीपर मदनलाल कसारा के समक्ष औषधि —'5 मि0ली0 स्टेराईल वाटर फॉर इन्जेक्शन,आई.पी., बेच नं0 डी डब्ल्यू—01,निर्माण तिथि मई—1997,अवधिपार तिथि—अप्रेल—1999 (जिसे आगे इस निर्णय में औषधि से सम्बोधित किया जायेगा) का नमूना फार्म सं017 में लेकर चार बराबर भागों में नियमानुसार विभक्त किया व सेम्पल नं0 SCJ/DI/JWR/6-98/29 दिया गया व चारो भाग को सीलबंद किया गया जिसपर स्टोर कीपर मदनलाल कसारा ने हस्ताक्षर किये। इस औषधि के लिये वाउचर नम्बर 77 दिनांक 26.6.98 स्टोर कीपर द्वारा जारी किया गया। मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट बनायी गयी। सील्ड सेम्पल का एक भाग फार्म नं017 तथा निरीक्षण रिपोर्ट की एक—एक प्रति मदनलाल स्टोर कीपर को दी गई। औषधि का एक सील्ड सेम्पल मेमोरेण्डम फार्म नं0108 के साथ रजिस्टर्ड पार्सल से व एक मेमोरेण्डम फार्म अलग से रजिस्टर्ड डाक से जरिये सीरियल नम्बर आफ मेमोरेण्डम DI/98/111-12 दिनांक 26.6.98 से राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद को वास्ते जांच/विश्लेषण नियमानुसार भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट संख्या CIPL/6008/352 दिनांक 22.12.98 प्राप्त हुई जिसमें उक्त औषधि को —"The Sample does not conform to the requirement of I.P. in respect of Bacterial Endotoxin"— के चलते अवमानक कोटि की घोषित की गयी।

3— उक्त विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति मदनलाल कसारा स्टोर कीपर एस0आर0जी0चिकित्सालय झालावाड को देकर औषधि के क्रय—विक्रय, वर्तमान स्टॉक आदि के बारे में जवाब मांगा तो उसके

द्वारा उक्त औषधि को अभियुक्त सं012 से जरिये बिल नं0 511 दिनांक 29.5.97 के द्वारा 200x50x5 ml.की मात्रा में मैं0 जैन ट्रेडर्स मंगलपुरा झालावाड़(अभियुक्त सं012) से खरीदना बताया जिसको नोटिस दिये जाने पर अभियुक्त सं012 के मालिक नरेन्द्रकुमार जैन(अभियुक्त सं013) ने बताया कि उक्त औषधि उनके द्वारा मैं0 मेडिट्रेड ऐजेन्सी इन्दौर(अभियुक्त सं010) से खरीदा किया गया है जिसपर इनको नोटिस दिया गया तो इस फर्म के मालिक धर्म कुमार (अभियुक्त सं011) ने बताया कि उनके द्वारा उक्त औषधि मैं0 सिमको रेमीडीज इन्दौर(अभियुक्त सं08) से खरीदा गया है तथा इस फर्म से पूछने पर फर्म के मालिक संतोषकुमार ढींग (अभियुक्त सं09) ने उक्त औषधि मैं0 सिसटोकेम लेबोरेटरीज निर्माता कं0 (अभियुक्त सं01)से खरीदना बताया जिसके पदाधिकारी अभियुक्त सं02 से 7 है। इसपर अभियुक्त सं01 औषधि निर्माता कं0 को उक्त अमानक औषधि के निर्माण के सम्बंध में स्पष्टीकरण मांगा गया तो उनके द्वारा राजकीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट से असहमति जताते हुए चुनौती दी व आवेदन प्रस्तुत कर उक्त औषधि को केन्द्रीय प्रयोगशाला को जांच हेतु भिजवाने का निवेदन किया जिसपर न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर निर्माता कं0 के खर्च पर सेम्पल को पुनः जांच हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला भिजवाया गया जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुयी व सेम्पल --"The Sample does not conform to I.P. in respect of "Bacterial Endotoxin" hence the sample is not of standard quality.- कारण से अवमानक कोटि का पाया गया। उक्त औषधि को ड्राई पावडर फॉर इंजेक्शन में मिलाकर मरीज को इन्जैक्शन के रूप में लगाया जाता है एवं जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त औषधि कीटाणु एवं जीवाणु रहित न होकर कीटाणु एवं जीवाणु सहित पायी गयी है तथा ऐसी उक्त औषधि का इन्जेक्शन लगाने पर मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। इस प्रकार उक्त औषधि DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 17A(e) के तहत Adulterated है, धारा 16(a) के

तहत Not of standard quality की व धारा 17(c) के अनुसार Misbranded है। इसप्रकार अभियुक्तगण ने उक्त प्रकार की औषधि का निर्माण, विक्रय, वितरण एवं संग्रह किया जो उक्त अधि0 की धारा 18a(i), 18(a)(vi), 18(c) का उल्लंघन होकर धारा सपठित धारा 27(a), 27(b)(i) एवं 27(d) के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त आशय का परिवाद पत्र परिवादी औषधि निरीक्षक संजय पारीक ने न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसपर अभियुक्तगण को तलब किया गया।

4— अभियुक्तगण के हाजिर होने पर प्रकरण परिवाद पर आधारित वारंट केस होने से प्रकरण में वारंट ट्रायल प्रोसीजर अख्तियार किया गया व मामले को चार्ज पूर्व साक्ष्य हेतु नियत किया गया व चार्ज पूर्व साक्ष्य में गवाह पी0ड01 संजय पारीक, पी0ड02 जनकराज भाटियां, पी0ड03सुभाषचंद जैन, पी0ड04 विजयकुमार सिंघल, पी0ड05 मदनलाल के बयान करवाये गये।

5— तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस आरोप सुनी जाकर अलग से आदेश पारित कर दिनांक 24.8.12 को अभियुक्तगण को 18a(i), 18(a)(vi), 18(c) सपठित धारा 27(a), 27(b)(i) एवं 27(d) के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराधों का आरोप अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

6— आरोप सुनाने के उपरांत उक्त परीक्षित गवाहान पी0ड01लगायत 5 से मजीद जिरह करवायी गयी व गवाह पी0ड06 डी0के0 श्रृंगी के बयान लिये गये। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेज एक्जी0पी01 लगायत 63 को भी प्रदर्शित करवाया गया।

7— अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313द0प्र0सं0 के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया व अभियुक्तगण सं01 लगायत7

औषधि निर्माता कं0/उनके पदाधिकारी ने जाहिर किया कि वे निर्दोष है, सेम्पल की दवाई उनके द्वारा नहीं बनायी गयी है, उनके द्वारा निर्मित दवाई का नमूना नहीं लिया गया है तथा इसी क्रम में अभियुक्ता मीनाक्षी गर्ग ने यह भी कथन कियाहै कि वह घरेलू महिला है, कम्पनी का कोई कारोबार नहीं देखती है।

8— अभियुक्त संतोष कुमार(मैं0 सिमको रेमीडीज अभियुक्त सं08 के मालिक) ने यह जाहिर किया कि वह निर्दोष है, वह लाईसेंसशुदा होल सेलर हैं। उसने उपरोक्त दवा की चार हजार AMPULE निर्माता के बिल द्वारा खरीदे थे व अपने बिल से बेचे थे। जिस हालात में दवा खरीदी थी उसी हालत में बेची थी।

9— अभियुक्त धर्मकुमार (मैं0 मेडिट्रेड ऐजेन्सी अभियुक्त सं010 के मालिक) ने जाहिर किया कि उसने उपरोक्त दवा के चार हजार AMPULE सिमको फार्मेसी से खरीदे थे तथा अपने बिल के द्वारा चार हजार AMPULE जैन ट्रेडर्स झालावाड़ को बेचने थे। वह लाईसेंसशुदा दवा विक्रेता है। जिस दशा में दवा खरीदी थी उसी दशा में बेची थी।

10— इसी प्रकार अभियुक्त नरेन्द्र कुमार जैन (मैं0 जैन ट्रेडर्स अभियुक्त सं012 के मालिक) ने जाहिर किया कि वह निर्दोष है, उसने जिस हालत में दवा खरीदी उसी हालात में बेची थी। वह बिल द्वारा माल खरीदता था व बिल द्वारा ही बेचता था।

11— सभी अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहा व प्रतिरक्षा में गवाह डी0ड01 नरेन्द्र कुमार जैन, डी0ड02एस0डी0गर्ग को परीक्षित करवाया व व दस्तावेजी एक्जी0डी01लगायत3, 3ए को प्रदर्शित करवाया।

12— हमने उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी एवं पत्रावली का एवं लिखित बहस का अत्यंत सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

13— विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण ने अमानक कोटि की औषधि का विनिर्माण, वितरण

सग्रंहण एवं विक्रय किया है जिसका नियमानुसार सेम्पल लिये जाने व प्रेषित किये जाने राजकीय विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार उक्त औषधि को अमानक कोटि का पाया गया है जिसकी पुष्टि केन्द्रीय प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट से भी होती है। उक्त औषधि राजकीय अस्पताल झालावाड़ द्वारा 200x50x5 ml.की मात्रा में मैं0 जैन ट्रेडर्स मंगलपुरा झालावाड़(अभियुक्त सं012) से खरीदना बताया जिससे बिल मांगने पर उसके मालिक अभियुक्त सं013 ने 80x50x5 ml.की खरीद ही बिल प्रस्तुत किया व शेष 120x50x5 ml. की खरीद का बिल प्रस्तुत नहीं किया जो भी अधि0 की धारा 18(a)(vi), 18(c) के तहत दण्डनीय अपराध है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 18a(i), 18(a)(vi), 18(c) सपठित धारा 27(a), 27(b)(i) एवं 27(d) के तहत दोषसिद्धी बाबत् पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण को उक्त अपराधों में दोषसिद्ध किया जाने का निवेदन किया।

14— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का अपनी बहस में मुख्यतः निम्नलिखित तर्क रहे है:—

(1) परिवादी संजय पारिक अधिनियम की धारा 21के तहत हस्तगत परिवाद पेश करने के लिये अधिकृत नहीं है क्योंकि इस सम्बंध में उनका कोई गजट नोटीफिकेशन न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्रस्तुत परिवाद विधि विरूद्ध है तथा खण्डनीय है।

(2) अभियुक्त सं01लगायत 7 की कम्पनी द्वारा निर्मित औषधि का सेम्पल नहीं लिया गया है तथा जो विश्लेषण रिपोर्ट पत्रावली पर है वे उनके द्वारा निर्मित औषधि की नहीं है।

(3) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त सं01लगायत 7 का दौराने बहस तर्क रहा है कि उनके द्वारा निर्मित औषधि को उनके द्वारा जैन ट्रेडर्स मंगलपुरा झालावाड को नहीं बेचा गया है। उन्होने अपनी निर्मित

दवाई के केवल चार हजार एम्प्यूल मैं0सिमको फार्मा उज्जैन को बेचे है।

(4) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि राजकीय विश्लेषक द्वारा उक्त औषधि को Not of standard quality का पाया है ना कि Misbranded, Adulterated & Spurious Drugs माना है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा भी उक्त औषधि को Not of standard quality का पाया है ना कि Misbranded, Adulterated & Spurious Drugs माना है।

(5) उक्त औषधि में स्वास्थ के लिये हानिकारक या जहरीला प्रदार्थ नही पाया गया है जो कि स्वास्थ के लिये खतरनाक हो क्योंकि सभी उक्त औषधि अस्पताल ने खरीदी है व विभिन्न मरीजों पर उपयोग किया है तथा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव एक भी मरीज के शरीर नहीं पाया गया है ना ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 की परिभाषा में आने वाली कोई गम्भीर उपहति आयी है। पी0ड01 संजय पारिक, पी0ड03 सुभाष जैन, पी0ड05 मदनलाल सभी ने यह स्वीकार किया है कि अस्पताल को 10,000 इंजेक्शन (एम्प्यूल्स) प्राप्त हुए थे। गवाहान का यह भी कथन रहा है कि उक्त औषधि 4000 इंजेक्शन का बिल अभियुक्त सं012 व 13 ने दिया था। इसप्रकार अभियुक्त सं0 12 व 13 द्वारा 4000 इंजेक्शन सप्लाई किये गये थे व शेष 6000 इंजेक्शन कहां से बनवाये, खरीदे इस बाबत् कोई रिकोर्ड पत्रावली पर नहीं है।

(6) पत्रावली पर यह भी रिकोर्ड नहीं है कि तथाकथित सेम्पल उक्त 4000 इंजेक्शन से लिये गये या अन्य 6000इंजेक्शन से, जो कि अभियुक्तगण ने सप्लाई नहीं किये, से लिये गये थे। पूरे 10,000इंजेक्शन का बिल अभियुक्त पक्ष के द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा रेकार्ड के अनुसार 4000 इंजेक्शन ही अभियुक्तगण द्वारा सप्लाई किये गये है।

(7) विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जो सेम्पल लिया गया है वह नियमानुसार नहीं लिया गया है जो कि नियमानुसार जांच का सही तरीका नहीं होने के चलते Not of standard quality पाया गया है तथा ऐसी जांच रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

(8) विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अभियुक्ता मीनाक्षी गर्ग एक गृहिणी है तथा वह कम्पनी का कोई कारोबार नहीं देखती है।

(9) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि उक्त औषधि निर्माण के समय कम्पनी में कौन व्यक्ति इन्चार्ज थे व औषधि निर्माण के समय जिम्मेदार थे इस विषय में परिवादी ने कोई निरीक्षण नहीं किया है। परिवादी ने परिवाद में भली भांति रूप से यह नहीं बताया कि अभियुक्त सं0 2,3,4, किस प्रकार से अभियुक्त सं01 के लिये किस प्रकार से जिम्मेदार है। अभियुक्त सं02,3,4 दिन प्रतिदिन के कार्यो को देखने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है इन हालात में उनके विरूद्ध कोई अपराध का गठन नहीं होता है।

15— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है:—

1— महाराष्ट्र राज्य बनाम आर0ए0चन्दावरकर व अन्य 1999 ड्रक्स केसेज पेज—94/1999कि0ला0जं04449,
2— राज्य बनाम बलवंतराय बालूभाई भयानी व अन्य ड्रक्स केसेज 1993 पेज—424(बोम्बे हाई कोर्ट),
3— मेसर्स गाबा फार्मास्यूटीकल्स,हैदराबाद व अन्य बनाम आन्ध्रं प्रदेश राज्य, 2007ड्रक्स केसेज(डी.सी.)3
4— मेसर्स केपलेट इण्डिया(प्रा0)लि0 व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (1) 1999 ड्रक्स केसेज पेज—86
मेहली पेरटोनजी पोंचा सी किरट शेयरहोल्डर्स ऑफ बलसारा हाईजीन प्रोडक्ट लि0 बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2001 ड्रक्स केसेज पेज—303,
6— म्यूनिसिपल कार्पोरेशन आफ देहली बनाम रामकिशन रोहतगी व अन्य, ए0आई0आर0(एस0सी0) 1983 पेज67

7— हरियाणा राज्य बनाम बृजलाल मित्तल व अन्य
ए0आई0आर0 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 2327

8— आदर्श मारवाह व अन्य बनाम नेहर रंजन भटटाचार्य अन्य
ई0एफ0आर0 1990(2) पेज387 दिल्ली हाई कोर्ट,

9— पन्नालाल सुन्दरलाल चोकसी व अन्य बनाम
महाराष्ट्र राज्य व अन्य 2001ड्रक्स केसेज पेज—7,

10— अरविंद बाबू बनाम केरल राज्य
2002(1) क्रिमिनल कोर्ट केसेज 375 केरल हाई कोर्ट

11— एन.दानापानी व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य
2002 ड्रक्स केसेज(डी0सी0) पेज—339,

12— उमेश शर्मा व अन्य बनाम एस.जी. भक्ता व अन्य
2002कि0ला0जं0 4843 बोम्बे हाईकोर्ट

16— हमनें उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का का अत्यंत सावधानीपर्वूक फिर से अवलोकन किया। इस प्रकरण के अवधारण हेतु मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः—

(1) *आया दिनांक 29.6.1998 को औषधि निरीक्षक परिवादी एस0सी0जैन ने एस0आर0जी0 अस्पताल झालावाड़ से अभियुक्तगण द्वारा निर्मित, विकित, वितरित एवं संग्रहित की गयी उक्त औषधि का नमूना लिया जो 17A(e) के तहत* **Adulterated** *व धारा 16(a) के तहत* **Not of Standard quality** *की पायी गयी व इस प्रकार अभियुक्तगण ने धारा* **18a(i), 18(a)(vi),** *18(c) की खिलाफवर्जी की ओर एतद द्वारा धारा 27(a),* **27(b)(i)** *एवं* **27(d)** *के तहत दण्डनीय अपराध किया?*

यदि हां तो अभियुक्तगण को क्या सजा तज़वीज की जावे?

(2)

17— उक्त बिन्दुओं के सम्बंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण में परिवादी औषधि निरीक्षक संजय पारीक को पी0डब्ल्यू

के रूप में परीक्षित करवाया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद–पत्र में अंकित तथ्यों के समान कथन करते हुए परिवाद पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की है व कथन किया है कि दिनांक 26.6.98 को तत्कालीन औषधि निरीक्षक श्री एस0सी0 जैन द्वारा एस0आर0जी0चिकीत्सालय,झालावाड़ के स्टोर से तत्कालीन स्टोर कीपर मदनलाल कसारा के समक्ष औषधि 5 मिली स्टेराईल वाटर फॉर इन्जेक्शन,आई.पी.,बेच नं0 डी डब्ल्यू–01का नमूना लिया व राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद को वास्ते जांच/विश्लेषण नियमानुसार भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उक्त औषधि को अवमानक कोटि की पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट एक्जी0पी01 है। इस रिपोर्ट को औषधि निर्माता कं0 मैसर्स सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लि0 ने चुनौती दी व न्यायालय के जरिये केन्द्रीय प्रयोगशाला में नमूना पुनः परीक्षण हेतु भिजवाया जिसकी रिपोर्ट में भी सेम्पल को मानक कोटि का नहीं पाया गया जिसकी रिपोर्ट एक्जी0पी02 है। इस पर उसके न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने हेतु आदेश एक्जी0पी03 नियंत्रक प्राधिकारी औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर द्वारा दिया गया जिसपर उसने परिवाद एक्जी0पी04 पेश किया। उसकी औषधि निरीक्षक की शक्तियों का गजट नोटीफिकेशन एक्जी0पी07 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह का कथन है कि अभियुक्त सं0 12 ने उक्त चिकित्सालय को 200x50x5 ml. अर्थात् 10,000 एमप्यूल्स औषधि का विक्रय किया था जबकि अभियुक्त सं012 द्वारा 80x50x5 ml.अर्थात् 4000एम्प्यूल्स औषधि का क्रय बिल पेश किया गया। यह सही है कि अभियुक्त सं012 ने शेष 6000एम्प्यूल्स औषधि खरीद का बिल हमें पेश नहीं किया। यह सही है कि नमूना खरीद बिल वाले चार हजार एम्प्यूल्स से लिया गया या छः हजार एम्प्यूल्स जिनका बिल नहीं दिया गया में से लिया गया है मैं नहीं कह सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त संख्या–1 के द्वारा विक्रित दवाई से नमूना

लिया गया।

18— इस प्रकार इस गवाह से प्रतिपरीक्षा में जो तथ्य सामने आये है उसमें इस गवाह द्वारा यह प्रकट किया गया है कि नमूना खरीद बिल वाले चार हजार एम्प्यूल्स से लिया गया या छः हजार एम्प्यूल्स जिनका बिल नहीं दिया गया में से लिया गया उसे पता नहीं है तथा इसी प्रकार अभियुक्त संख्या–1 के द्वारा विक्रित दवाई से नमूना लिया गया हो इससे भी अनभिज्ञता प्रकट की गयी है।

19— परन्तु यहा यह वर्णित किया जाना उल्लेखनीय है कि यह गवाह परिवादी है जिसके द्वारा परिवाद पत्र पेश किया गया है जबकि नमूना सेम्पल लेने वाला औषधि निरीक्षक एस0सी0जैन है तथा नमूना किस औषधि से लिया गया यह तथ्य स्पष्ट रूप से एस0सी0जैन औषधि निरीक्षक द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है। इस साक्षी से इस सम्बंध में की गयी प्रतिपरीक्षा सारभूत एवं तात्विक नहीं है। परन्तु इस साक्षी ने भी औषधि बेच नं0 डी डब्ल्यू–01 का नमूना लिया जाना स्पष्ट रूप से कथन किया है।

20— नमूना सेम्पल लेने वाले तत्कालीन औषधि निरीक्षक सुभाष चंद जैन को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड03 के रूप में परीक्षित करवाया गया है जिसका अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि वह मार्च–1997 से जुलाई–99 तक औषधि निरीक्षक झालावाड के पद पर पदस्थापित था जिसकी नियुक्ति आदेश एक्जी0पी010 है। दिनांक 26.6.98 को उसने एस0आर0जी0 चिकित्साल झालावाड का निरीक्षण मदनलाल कसारा, स्टोर कीपर की उपस्थिति में किया व परीक्षण हेतु 05एम0एल0 स्टेरायल वाटर फॉर इंजेक्शन आई0पी0 बेच नं0 बी0डब्ल्यू01 जिसकी निर्माण तिथि मई–97 व अवसान तिथि अप्रेल–99 जो कि मैसर्स सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लि0 द्वारा निर्मित थी का नमूना लिया जिसका सेम्पल नं0 SCJ/DI/JWR/6-98/29 था। वक्त निरीक्षण फार्म नं017 एवं एक सील्ड नमूना स्टोर कीपर श्री कसारा को मौके पर

दिया। निरीक्षण रिपोर्ट एक्जी0पी011 है जिसपर उसके हस्ताक्षर है। फार्म नं017 एक्जी0पी012 है। उसने चार डिब्बे मूल कम्पनी की पैकिंग के अलग–अलग सेम्पल लेकर सील्ड किये थे। उसे सेम्पल देने का वाउचर अस्पताल स्टोर द्वारा दिया गया जिसका नं077 दिनांक 26.6.98 है जो एक्जी0पी013 है। एक सेम्पल मौके पर श्री कसारा को दिया जिसकी प्राप्ति के एक्जी0पी012 पर सी से डी हस्ताक्षर है। दिनांक 26.6.98 को ही फार्म नं018 के साथ एक सील नमूना राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद को वास्ते जांच जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल भेजा गया था। फार्म नं0 18 की प्रति एक्जी0पी014 है। पार्सल रसीद एक्जी0पी015 व 16 है। नमूने की जांच रिपोर्ट एक्जी0पी01 डाक से सहवन से भीलवाड़ा भिजवा दी गयी थी जो औषधि निरीक्षक भीलवाड़ा के पत्र एक्जी0पी017 से प्राप्त हुई। रिपोर्ट एक्जी0पी01 के अनुसार सेम्पल अवमान कोटि का पाया गया।

21– उक्त गवाह का अपनी मुख्य परीक्षा में आगे यह कथन है कि जांच रिपोर्ट की प्रति स्टोर कीपर मदनलाल कसारा को देकर जिस औषधि का नमूना लिया गया उसके खरीद स्टॉक व वितरण सम्बंधी जानकारी चाहने हेतु एक्जी0पी018 दिया जिसपर मदनलाल ने जवाब एक्जी0पी019 प्रस्तुत किया व वितरण प्राप्ति व बेलेन्स का विवरण एक्जी0पी020,21,22 दिया। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे अभियुक्तगण को नोटिस देकर जवाब व दस्तावेज तलब किये जाने सम्बंधी कथन करते हुए इससे सम्बंधित दस्तावेजात को भी प्रदर्शित करवाया है।

22– गवाह का अपनी मुख्य परीक्षा में आगे यह भी कथन है कि अभियुक्त सं01 द्वारा जांच रिपोर्ट एक्जी0पी01 को चुनौती दी गयी जिसपर उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के समक्ष द्वितीय नमूने को केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच करवाने का प्रा0पत्र एक्जी0पी048 प्रस्तुत किया। केन्द्रीय प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट

अनुसार भी सेम्पल अवमानक कोटि का पाया गया।

23— इस गवाह से की प्रतिपरीक्षा में इस गवाह का कथन है कि 200X50=10,000एम्प्यूल्स अस्पताल को सप्लाई किये गये थे। यह सही है कि उक्त सभी एम्प्यूल्स मरीजों के लिये विभिन्न वार्डों में वितरीत किये गये थे। समस्त इंजेक्शनों का उपयोग अस्पताल द्वारा मरीजों के लिये किया गया। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि इस दवा का कोई खराब असर किसी मरीज पर हुआ या नहीं। कुप्रभाव की कोई रिपोर्ट अस्पताल द्वारा उसे नहीं दी गयी। उक्त दवा के दस हजार इंजेक्शन में से जैन ट्रेडर्स झालावाड़ अभियुक्त सं012 व 13 ने विवादित दवाई के 80X50X5एम0एल0 यानि 4000 इंजेक्शन का खरीद बिल उसे दिया था शेष 6000इंजेक्शन का बिल अभियुक्त सं0 12 व 13 द्वारा नहीं दिया गया। यह सही है कि मैं यह नहीं कह सकता कि उसने नमूना जो लिया वह 4000इंजेक्शन से लिया या शेष 6000इंजेक्शन जिसका बिल नहीं दिया गया उसमें से थे।

24— गवाह पी0ड05 मदनलाल कसेरा ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 26.6.98 को वह स्टोर कीप के पद पर एस0आर0जी0 चिकित्सालय झालावाड में तेनात था उस दिन उसके समक्ष सुभाषचंद जैन आये व सेम्पलिंग की थी जिसकी रिपोर्ट एक्जी0पी011(निरीक्षण रिपोर्ट) है। एक्जी0पी012 सेम्पल लिया उस पर भी उसके सी से डी हस्ताक्षर है। दिनांक 27.1.99 को उसे एस0सी0जैन द्वारा एक नोटिस दिया गया व पूछा कि विवादित औषधि कहां से प्राप्त हुई व कहां–कहां वितरण किया जिसका जवाब एक्जी0पी019 दिया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसमें उसने बताया था कि ये किन–किन से प्राप्त हुई और किन–किन को वितरण की गयी, बिल की फोटो प्रति साथ में उपलब्ध है। इस गवाह का अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन है कि यह सही कि अभियुक्त सं0 12 व 13 से 10,000

इंजेक्शन प्राप्त हुए थे। यह सही है कि सारी दवाई मरीजों पर इस्तेमाल हुई है। यह सही है कि किसी व्यक्ति पर इस दवा के कुप्रभाव की कोई जानकारी नहीं आयी ना ही ऐसा कोई प्रकरण सामने आया।

25— साक्षी पी0ड02जनकराज भाटिया ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 2.8.99 को वह औषधि निरीक्षक झालावाड था व मैं0सिस्टोकेम लेबो0 के निदेशक सुरेन्द्र कुमार गर्ग को नोटिस एक्जी0पी08 देकर दवा निर्माण के दोषी तकनीकी स्टाफ के नाम पते पूछे थे व उक्त फर्म को पत्र एक्जी0पी09 दिया था। नियंत्रक प्राधिकारी औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर से अभियोजन स्वीकृति एक्जी0पी03 प्राप्त हुई थी।

26— साक्षी पी0ड04विजय कुमार सिंघल अभियुक्तगण द्व ारा औषधि क्रय—विक्रय व अभियुक्तगण फर्म के संविधान व अन्य दस्तावेज तलब करने के सम्बंध में लिखा—पढ़ी करने व पत्रादि जारी करने का गवाह है जिसने अपनी साक्ष्य में इस बाबत् कथन किये है व दस्तावेज एक्जी0पी052 लगायत61 को प्रदर्शित भी किया है।

27— प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोप विरचित कर सुनाये जाने व उनके द्वारा अन्वीक्षा चाहने पर उक्त परीक्षित गवाहान को पुनः मजीद जिरह के लिये तलब किया गया। इसपर गवाह पी0ड01संजय पारीक परिवादी का जिरह में कथन है कि यह सही है कि यदि कोई दवा का सेम्पल बेक्टीरियल एण्डो टॉक्सिन में फैल हो जावे तथा दवाई किसी मरीज को दी जावे तो उसका कुप्रभाव मरीज पर होने की पूर्ण संभावना है। इस दवाई के निर्माण के लिये कौन—कौन व्यक्ति उत्तरदायी है इसकी विवेचना उसने नहीं की। उसकी जानकारी में ऐसा नहीं है कि इस दवा के प्रयोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या मरणासन हुआ हो या किसी को गम्भीर चोट पहुंची हो या किसी मरीज पर इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ा हो।

28— गवाह पी0ड02जनकराज भाटिया ने मजीद जिरह में यह

कथन किया कि निर्माता कम्पनी के अन्दर इस दवा के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह उसे पता नहीं कि यदि कोई दवा बेक्टीरियल एण्डो टॉक्सिन में फैल हो व दवा किसी मरीज को दी जाती है तो उसका प्रभाव बुरा हो तो उसे पता नहीं।

29— सेम्पल लेने वाले औषधि निरीक्षक पी0ड03सुभाष जैन का अपनी मजीद जिरह में कथन है कि वह यह नहीं बता सकता कि यदि दवाई का सेम्पल बेक्टीरियल एण्डो टॉक्सिन में फैल हो तो उसका कोई दुष्प्रभाव मरीज पर होता है या नही, वह नहीं बता सकता, डाक्टर ही बता सकता है। इस परिवाद में कोई डाक्टर गवाह नहीं है। इस मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु या गम्भीर चोट या कोई कुप्रभाव हुआ हो तो इसकी सूचना उसे नहीं है। यह दवाई जितनी सरकारी अस्पताल को सप्लाई की गयी थी वह रिपोर्ट प्राप्त होने तक कन्ज्यूम हो चुकी थी कोई स्टॉक नहीं था। इसी प्रकार की जिरह गवाह पी0ड4 विजयकुमार सिंघल व पी0ड05 मदनलाल से की गयी है।

30— अभियोजन पक्ष की ओर से एक अन्य गवाह पी0ड06 डी0के0श्रृंगी तत्कालीन लाईसेंस आथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक कोटा को परीक्षित करवाया गया जिसके द्वारा अभियुक्त सं012 व 13 जैन ट्रेडर्स मंगलपुरा झालावाड का संविधान, हलफनामा, शपथ—पत्र, लाईसेंस आदि दस्तावेज औषधि निरीक्षक झालावाड़ द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने सम्बंधी कथन किये है व इससे सम्बंधित दस्तावेज एक्जी0पी058लगायत63 को प्रदर्शित किया है।

31— प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रस्तुत गवाह डी0ड01 नरेन्द्र कुमार (अभियुक्त सं013) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने ड्रक कॉर्नर कोट्टा से दिनांक 20.5.97 को माल खरीदा था जिसमें इंजेक्शन खरीदे थे जिनका बिल एक्जी0डी01 है असल बिल एक्जी0डी02 दिनांक 29.5.97 मेडीट्रेड ऐजेन्सी इन्दौर का है इस बिल

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज.)

के जरिये उसने इंजेक्शन खरीदे थे। उसके द्वारा बिल नं0 511(स्टोर कीपर मदनलाल कसेरा पी0ड05 द्वारा बाद में औषधि निरीक्षक को जवाब में बताया गया बिल) में दो सौ बॉक्स का जो बिल दिया था उसमें गलती से एक ही बेच नं0 अंकित हो गया था जिसकी भूल सुधार के लिये विभाग को पत्र एक्जी0डी03 दिया गया।

32— उक्त एक्जी0डी02 का अवलोकन किया गया। यह दिनांक 29.5.97का मेडीट्रेड एजेन्सी कं0(अभियुक्त सं010) द्वारा जैन ट्रेडर्स झालावाड (अभियुक्त सं012) को उक्त औषधि का 80x50x5 ml.की मात्रा का बिल है जिसमें उक्त औषधि की निर्माता कं0 सिसटोकेम को दर्शाया है व औषधि का बेच नं0 डी0डब्ल्यू—01 अंकित है।

33— इसी प्रकार एक्जी0डी03 का अवलोकन किया गया जिसमें जैन ट्रेडर्स(अभियुक्त सं012) द्वारा एस0आर0जी0 चिकित्सालय को दिनांक 30.5.97 का लिखा गया पत्र है जिसमें अभियुक्त सं012 व 13 द्वारा यह अंकित किया गया है कि उसके द्वारा अपने बिल नं0 511 के जरिये 200बॉक्स प्रत्येक 50 इंजेक्शन दिये गये है जिसमें गलती से एक ही बेच नं0 अंकित गये है जबकि उसके द्वारा 120बॉक्स बेच नं0 ए0बी047810 के व 80बॉक्स बेच नं0 डी0डब्ल्यू—01 के दिये गये है।

34— प्रतिरक्षा साक्ष्य में परीक्षित गवाह डी0ड02एस0डी0गर्ग (अभियुक्त सं02) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उनकी कम्पनी ने जो स्टेराईल वाटर फार इंजेक्शन बेच नं0 डी0डब्ल्यू—01 निर्माण तिथि मई 1997, अवसान तिथि अप्रेल—1999 बनाया था उसका सेम्पल नहीं लिया गया था। राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट जो पत्रावली पर है वह उनके द्वारा निर्मित दवा की नहीं है। हमने केवल अपने द्वारा निर्मित दवाई की चार हजार एम्प्यूल मैं0 सिमको फार्मा उज्जैन को बेचे है।

35— उभय पक्ष की उक्त साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये

विवेचन से यह तथ्य सन्देह से परे साबित है कि औषधि निरीक्षक एस0सी0जैन द्वारा दिनांक 26.6.98 को एस0आर0जी0चिकित्सालय के स्टोर से –'5 मि0ली0 स्टेराईल वाटर फॉर इन्जेक्शन,आई.पी., बेच नं0 **डी डब्ल्यू–01**,निर्माण तिथि मई–1997,अवधिपार तिथि–अप्रेल–1999 का सेम्पल लिया गया व राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद को भिजवाया गया जो जांच पर –"The Sample does not conform to the requirement of I.P. in respect of Bacterial Endotoxin"– के चलते **अवमानक कोटि** का पाया गया है व पश्चात्वर्ती क्रम में अभियुक्त सं01 द्वारा राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट एक्जी0पी01 से असहमति प्रकट कर चुनौती दिये जाने पर न्यायालय के माध्यम से द्वितीय सेम्पल की केन्द्रीय प्रयोगशाला कलकत्ता से पुनः जांच करवायी गयी तो सेम्पल –"The Sample does not conform to I.P. in respect of "Bacterial Endotoxin" hence the sample is not of standard quality.- कारण से अवमानक कोटि का पाया गया। केन्द्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट एक्जी0पी02 है।

36– यहां यह वर्णित किया जाना उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सं01निर्माता कम्पनी की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में परीक्षित गवाह डी0ड02एस0डी0गर्ग (अभियुक्त सं02) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उनकी कम्पनी ने जो स्टेराईल वाटर फार इंजेक्शन बेच नं0 डी0डब्ल्यू–01 निर्माण तिथि मई 1997, अवसान तिथि अप्रेल–1999 बनाया था उसका सेम्पल नहीं लिया गया था। राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट जो पत्रावली पर है वह उनके द्वारा निर्मित दवा की नहीं है। हमने केवल अपने द्वारा निर्मित दवाई की चार हजार एम्पूल मैं0 सिमको फार्मा उज्जैन को बेचे है।

37– इससे यह स्पष्ट है कि औषधि बेच नं0 डी0डब्ल्यू–01 का निर्माण अभियुक्त सं01 कम्पनी द्वारा किया गया है तथा उक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त निर्मित औषधि की चार हजार एम्पूल मैं0 सिमको फार्मा उज्जैन (अभियुक्त सं08) को बेचे है।

38— इस कम में अभियुक्त सं08 मैसर्स सिमको रेमीडीज के मालिक संतोषकुमार ढींग(अभियुक्त सं09) ने अपने परीक्षण अन्तर्गत धारा 313द0प्र0सं में यह स्पष्ट रूप से जाहिर किया कि है उसने 4000एम्प्यूल निर्माता कं0 से खरीदे थे व अपने बिल के अनुसार बेचे थे तथा इसी कम में मैसर्स मेडीट्रेड एजेन्सी(अभियुक्त सं010) के मालिक धर्मकुमार (अभियुक्त सं011) ने अपने परीक्षण अन्तर्गत धारा 313द0प्र0सं में यह स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि उसने चार हजार एम्प्यूल सिमको रेमीडीज(अभियुक्त सं08) से खरीदे थे व अपने बिल के द्वारा 4000एम्प्यूल जैन ट्रेडर्स झालावाड(अभियुक्त सं0 12 व 13) को बेचान किये थे।

39— उक्त तथ्य की पुष्टि गवाह डी0ड01 नरेन्द्र कुमार (अभियुक्त सं013) के बयान व मेडीट्रेड एजेन्सी के जैन ट्रेडर्स झालावाड के नाम जारी बिल एक्जी0डी02 से भी होती है जिसमें भी उक्त सिसटोकेम निर्माता कं0 द्वारा निर्मित ओषधि बेच सं0 डी0डब्ल्यू0—01 के 80x50x5 ml.का इन्द्राज है।

40— इस प्रकार यह *तथ्य एकदम आईने की तरह साफ व स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा निर्मित, विकित औषधि बेच नं0 डी0डब्ल्यू0—01 का ही सेम्पल, औषधि निरीक्षक झालावाड़* द्वारा लिया गया जो राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद व केन्द्रीय विश्लेषक कलकत्ता द्वारा विश्लेषण किये जाने पर उपरोक्तानुसार अवमानक कोटि का पाया गया है। राजकीय विश्लेषक व केन्द्रीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में भी *औषधि बेच नं0 डी0डब्ल्यू0—01 के ही सेम्पल* का विश्लेषण किया जाना अंकित है।

41— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त सं01लगायत7 का यह तर्क कि उनकी कम्पनी द्वारा निर्मित औषधि का सेम्पल नहीं लिया गया है तथा जो विश्लेषण रिपोर्ट पत्रावली पर है वे उनके द्वारा निर्मित औषधि की नहीं है, उपरोक्त विवेचन की रोशनी में सारहीन हो जाता है। इस

सम्बंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मेसर्स केपलेट इण्डिया(प्रा0)लि0 व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (1)1999 ड्रक्स केसेज पेजें–86 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न मामला होने से प्रकरण में चस्पा नहीं होती है।

42– इसके अलावा यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट एक्जी0पी01 आने के उपरांत अभियुक्त सं01 निर्माता कं0 ने उससे असहमति जताते हुए व चुनौती देते हुए केन्द्रीय प्रयोगशाला से सेम्पल की पुनः जांच करवायी है। इससे भी यही मौन स्वीकृति परिलक्षित एवं प्रतिध्वनित होती है कि अवमानक पायी गयी औषधि का लिया गया नमूना अभियुक्त निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित एवं विक्रित ही था, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि वे राजकीय विश्लेषक की जांच रिपोर्ट एक्जी0पी01 को चुनौती देते।

43– इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त सं01लगायत 7 के इस तर्क में कि उनके द्वारा निर्मित औषधि को उनके द्वारा जैन ट्रेडर्स मंगलपुरा झालावाड को नहीं बेचा गया है में भी उपरोक्त विवेचन की रोशनी में कोई सार नहीं रह जाता है।

44– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि गवाह पी0ड01 संजय पारिक, पी0ड03 सुभाष जैन, पी0ड05 मदनलाल सभी ने यह स्वीकार किया है कि अस्पताल को 10,000 इंजेक्शन (एम्प्यूल्स) प्राप्त हुए थे। गवाहान का यह भी कथन रहा है कि उक्त औषधि 4000 इंजेक्शन का बिल अभियुक्त सं012 व 13 ने दिया था। इसप्रकार अभियुक्त सं0 12 व 13 द्वारा 4000 इंजेक्शन सप्लाई किये थे व शेष 6000 इंजेक्शन कहां से बनवाये, खरीदे इस बाबत् कोई रिकोर्ड पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली पर यह भी रिकोर्ड नहीं है कि तथाकथित सेम्पल उक्त 4000 इंजेक्शन से लिये गये या अन्य 6000इंजेक्शन से, जो कि अभियुक्तगण ने सप्लाई नहीं किये, से लिये

गये थे। पूरे 10,000इंजेक्शन का बिल अभियुक्त पक्ष के द्वारा जारी नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है। स्वयं प्रतिरक्षा साक्ष्य में गवाह डी0ड01 नरेन्द्र कुमार अभियुक्त सं012 ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त निर्माता कं0 द्वारा निर्मित उपरोक्त 4000इंजेक्शन बेच नं0 डी0डब्ल्यू0--01 व अन्य प्रकार से 6000इंजेक्शन बेच नं0 ए0बी047810 का विवरण दिया है व इस सम्बंध में दस्तावेज एक्जी0डी03 को प्रदर्शित भी करवाया है। इसके अलावा यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा निर्मित, विक्रित औषधि बेच नं0 डी0डब्ल्यू0--01 का ही सेम्पल, औषधि निरीक्षक झालावाड़ द्वारा लिया गया जो राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद व केन्द्रीय विश्लेषक कलकत्ता द्वारा विश्लेषण किये जाने पर उपरोक्तानुसार अवमानक कोटि का पाया गया है। अतः विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है।

45— विद्वान अधिवक्ता का एक तर्क यह भी रहा है कि जो सेम्पल लिया गया है वह नियमानुसार नहीं लिया गया है जो कि नियमानुसार जांच का सही तरीका नहीं होने के चलते Not of standard quality पाया गया है तथा ऐसी जांच रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। हमने विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क पर मनन किया। इस सम्बंध में नमूना लिये जाने की प्रकिया अधिनियम की धारा 23 में उल्लेखित की गयी है जो निम्न प्रकार है:—

23. Procedure of Inspectors. —

(1) Where an Inspector takes any sample of a drug [or cosmetic] under this Chapter, he shall tender the fair price thereof and may require a written acknowledgement therefor.

(2) Where the price tendered under sub-section (1)is refused, or where the Inspector seizes the stock of any drug [or cosmetic] under clause (c) of section 22, he shall tender a receipt therefore in the prescribed form.

(3) Where an Inspector takes a sample of a drug [or cosmetic] for the purpose of test or analysis, he shall intimate such purpose in writing in the

prescribed form to the person from whom he takes it and, in the presence of such person unless he willfully absents himself, shall divide the sample into four portions and effectively seal and suitably mark the same and permit such person to add his own seal and mark to all or any of the portions so sealed and marked:

Provided that where the sample is taken from premises whereon the drug [or cosmetic] is being manufactured, it shall be necessary to divide the sample into three portions only:

Provided further that where the drug [or cosmetic] is made up in containers of small volume, instead of dividing a sample as aforesaid, the Inspector may, and if the drug [or cosmetic] be such that it is likely to deteriorate or be otherwise damaged by exposure shall, take three or four, as the case may be, of the said containers after suitably marking the same and, where necessary, sealing them.

(4) The Inspector shall restore one portion of a sample so divided or one container, as the case may be, to the person from whom he takes it, and shall retain the remainder and dispose of the same as follows: --

(I) one portion or container he shall forthwith send to the Government Analyst for test or analysis;

(ii) the second he shall produce to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the drug [or cosmetic]

(iii) the third, where taken, he shall send to the person, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed under section 18A.]

46— इस्तगत प्रकरण में भी औषधि निरीक्षक द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकिया अपनायी गयी है जिसका विवरण परिवाद--पत्र में अंकित है व औषधि निरीक्षक पी0ड03 सुभाषचंद ने अपने बयानों में भी इसका विवरण दिया है। अतः विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का अपनी बहस में मुख्य तर्क यह रहा है कि परिवादी संजय पारिक, अधिनियम की धारा 21के तहत हस्तगत परिवाद पेश करने के लिये अधिकृत नहीं है क्योंकि इस सम्बंध में उनका कोई गजट नोटीफिकेशन न्यायालय की पत्रावली पर

उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्रस्तुत परिवाद विधि विरूद्ध है तथा खण्डनीय है।

48— उक्त दिये गये तर्क के सम्बंध में हमने पत्रावली का सूक्ष्मता से परिशीलन किया। साक्षी पी0ड01 संजय पारीक ने अपनी मुख्य परीक्षा(दिनांक 20.1.10 को अभिलिखित) में यह कथन किया है कि—" **मेरी औषधि निरीक्षक की शक्तियों का गजट नोटीफिकेशन प्रदर्श पी0—7 है जिसके क्रमांक 03 पर मेरा नाम** अंकित है"। इस साक्षी से दिनांक 22.11.12 को निष्पादित प्रतिपरीक्षा में इस गवाह का यह कथन है कि यह सही है कि झालावाड़ जिले के लिये अलग से उसका कोई नोटीफिकेशन नहीं है। यह सही है कि झालावाड़ लोकल ऐरिया में कार्य करने हेतु अलग से मेने कोई नोटिफिकेशन या कोई आज्ञा पत्र दाखिल नहीं किया है। यह कहना गलत है कि उसे इस परिवाद को न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई अधिकार न हो। यह सही है कि एक समय में मैं सम्पूर्ण राजस्थान में बिना राजकीय आदेश के ड्रग इंसपेक्टर के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता।

49— उक्त गजट नोटीफिकेशन एक्जी0पी07 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रालेख के द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग की अधिसूचना दिनांक 2सितम्बर, 2000 से श्री संजय पारीक एवं अन्य को सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसी कम में गवाह पी0ड01 संजय पारीक ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 17.11.2000(परिवाद प्रस्तुति दिनांक) को वह औषधि निरीक्षक मुख्यालय झालावाड के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत था।

50— इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार के राजपत्र एक्जी0पी07 से परिवादी संजय पारीक व अन्य को सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त किया गया है

तथा वह दिनांक 17.11.2000 को झालावाड औषधि निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था यह तथ्य उसकी मुख्य परीक्षा के कथनों से साबित है क्योकि दिनांक 17.11.2000 को वह झालावाड औषधि निरीक्षक के पद पर पदस्थापित ना हो ऐसी कोई प्रतिपरीक्षा इस गवाह से नहीं की गयी है।

51— यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संजय पारीक औषधि निरीक्षक का मात्र पदस्थापन आदेश प्रदर्शित नहीं हो पाया है परन्तु पदस्थापन/स्थनान्तरण के सम्बंध में गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है मात्र विभागाध्यक्ष द्वारा एक आदेश प्रसारित किया जाता है जो कि हमारे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष सहवनवश प्रदर्शित नहीं करवा पाया है तथा यह एक तकनीकी त्रुटि है जो गम्भीर प्रकृति की नहीं है तथा मात्र तकनीकी त्रुटि के आधार पर सम्पूर्ण मामले को नकार दिया जाकर खारिज कर दिया जाना हमारे विनाम्र मत में विधितः उचित नहीं है। इसके अलावा गवाह पी0ड01 संजय पारीक ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह दिनांक 17.11.2000 को झालावाड औषधि निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था एवं इस तथ्य बाबत् बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है कि वह उक्त दिनांक को औषधि निरीक्षक के पद पर पदस्थापित नहीं हो अतः साक्षी पी0ड01 संजय पारीक की साक्ष्य इस बाबत् अखण्डित एवं विश्वसनीय है कि वह उक्त दिनांक को उक्त पद पर पदस्थापित था। जहां तक इस प्रश्न का सम्बध है कि औषधि निरीक्षक को परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हो इस बाबत् पत्रावली पर राजस्थान सरकार का आदेश एक्जी0पी03 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके द्वारा औषधि निरीक्षक झालावाड़ को इस प्रकरण में सम्बंधित के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है।

52— अतः विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है व इस सम्बंध में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

1–महाराष्ट्र राज्य बनाम आर0ए0चन्दावरकर व अन्य, 1999 ड्रक्स केसेज पेज–94/1999कि0ला0जं04449, 2–राज्य बनाम बलवंतराय बालूभाई भयानी व अन्य, ड्रक्स केसेज 1993 पेज–424(बोम्बे हाई कोर्ट), 3–मेसर्स गाबा फार्मास्यूटीकल्स,हैदराबाद व अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 2007ड्रक्स केसेज(डी.सी.)3 हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है।

53– विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अभियुक्ता मीनाक्षी गर्ग एक गृहिणी है तथा वह कम्पनी का कोई कारोबार नहीं देखती है। ऐसा ही तथ्य अभियुक्ता मीनाक्षी गर्ग ने अपने परीक्षण धारा 313द0प्र0सं में जाहिर किया है। परन्तु इस न्यायालय के विनम्र मत में ऐसा तथ्य साबित करने का भार स्वयं अभियुक्ता पर था तथा ऐसा तथ्य उसके विशिष्ठ ज्ञान का था, तथा वह इस सम्बंध में प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत कर ऐसा साबित कर सकती थी तथा वह अभियुक्त सं01 निर्माता कं0 की डायरेक्टर ना हो इस सम्बंध में ठोस एवं स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती थी परन्तु अभियुक्ता की ओर से इस सम्बंध में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है अतः विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

54– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि उक्त औषधि निर्माण के समय कम्पनी में कौन व्यक्ति इन्चार्ज थे व औषधि निर्माण के समय जिम्मेदार थे इस विषय में परिवादी ने कोई निरीक्षण नहीं किया है। परिवादी ने परिवाद में भली भांति रूप से यह नहीं बताया कि अभियुक्त सं0 2,3,4, किस प्रकार से अभियुक्त सं01 के लिये किस प्रकार से जिम्मेदार है। अभियुक्त सं02,3,4 दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है इन हालात में उनके विरूद्ध कोई अपराध का गठन नहीं होता है।

55– इस सम्बंध में साक्षी पी0ड03सुभाष जैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण को नोटिस देकर जवाब व दस्तावेज तलब किये

जाने सम्बंधी कथन करते हुए इससे सम्बंधित दस्तावेजात एक्जी0पी020 लगायत पी047 को भी प्रदर्शित करवाया है। इसके अलावा उपरोक्त विवेचन अनुसार सभी अभियुक्तगण की विवादित औषधि के विनिर्माण संग्रहण, वितरण विक्रय के कृत्य से जुड़े हुए है तथा कड़ी से कड़ी मिली है जो तथ्य अभियोजन साक्ष्य, अभियुक्तगण के परीक्षण अन्तर्गत धारा–313द0प्र0सं0 एवं बचाव साक्ष्य में परीक्षित गवाह की साक्ष्य से एकदम स्पष्ट रूप से साबित है। इसके अलावा अभियुक्तगण सं0 2 लगायत–7, अभियुक्त सं01निर्माता कम्पनी के निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, रसायनज्ञ है जिनकी देखरेख, निर्देशन व अनुमोदन से उक्त औषधि का निर्माण किया गया है ऐसे में वे यह सफाई नहीं दे सकते कि वे दिन–प्रतिदिन के कार्यो को देखने के लिये जिम्मेदार नहीं है तथा ऐसी स्थिति में अब वे अपने उत्तरदायित्व से उन्मुक्त नहीं हो सकते है।

56– इसके अलावा निर्माता कं0 के किसी उत्पाद(औषधि) के लिये उसके निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, रसायनज्ञ को उत्तरदायी नहीं माना जायेगा तो ऐसी निर्माता कं0 के उत्पाद के लिये आखिरकार कौन उत्तरदायी होगा यह प्रश्न उत्तरहीन ही रहेगा। इसके अलावा कोई भी कम्पनी स्वयं कार्य नहीं करती है बल्कि उसके निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, रसायनज्ञ कार्य करते है तभी कम्पनी चलायमान रहती है। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो, ए0आई0आर0(एस0सी0) 1983 पेज67, ए0 आई0आर0 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 2327, ई0एफ0आर0 1990(2) पेज387 दिल्ली हाई कोर्ट, 2001ड्रक्स केसेज पेज–7, 2002(1) क्रिमिनल कोर्ट केसेज 375 केरल हाई कोर्ट, 2002 ड्रक्स केसेज(डी0सी0) पेज–339, 2002क्रि0ला0ज0 4843 बोम्बे हाईकोर्ट, 2001 ड्रक्स केसेज पेज–303, से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।

57— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि राजकीय विश्लेषक द्वारा उक्त औषधि को Not of standard quality का पाया है ना कि Misbranded, Adulterated & Spurious Drugs माना है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा भी उक्त औषधि को Not of standard quality का पाया है ना कि Misbranded, Adulterated & Spurious Drugs माना है। उक्त औषधि में स्वास्थ के लिये हानिकारक या जहरीला प्रदार्थ नही पाया गया है जो कि स्वास्थ के लिये खतरनाक हो क्योंकि सभी उक्त औषधि अस्पताल ने खरीदी है व विभिन्न मरीजों पर उपयोग किया है तथा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव एक भी मरीज के शरीर नहीं पाया गया है ना ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 की परिभाषा में आने वाली कोई गम्भीर उपहति आयी है।

58— इस सम्बंध में उक्त औषधि को एस0आर0जी0चिकीत्सालय झालावाड़ द्वारा क्रय किया गया था तथा मरीजो के ईलाज हेतु इसका उपयोग भी किया है परन्तु इस सम्बंध में हमारा विनम्र मत यह है कि यह अलग बात है कि इसके उपयोग से कोई दुखान्तिका नहीं हुयी है। यह हो सकता है कि ईश्वरीय/दिव्य शक्ति की महर के चलते कोई दुखान्तिका नहीं हुई हो, परन्तु कोई दुखान्तिका नहीं होना उक्त औषधि के अवमानक कोटि की नहीं होने का प्रमाण—पत्र नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

59— राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त औषधि को -"The Sample does not conform to the requirement of I.P. in respect of Bacterial Endotoxin"- के चलते एवं इसी प्रकार केन्द्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट के चलते सेम्पल -"The Sample does not conform to I.P. in respect of "Bacterial Endotoxin" hence the sample is not of standard quality.- कारण से अवमानक कोटि का पाया गया।

60— राजकीय विश्लेषक व केन्द्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट में

सेम्पलों को "Bacterial Endotoxin" के चलते अवमानक पाया गया है। DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 17A(e) के तहत Adulterated औषधि की परिभाषा निम्नप्रकार दी गयी है:-

17A(e):-

"if any contains any harmful or toxic substance which may render it is injurious to health"

61- राजकीय विश्लेषक व केन्द्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सेम्पलों को "Bacterial Endotoxin" के चलते अवमानक कोटि का पाया गया है इससे यह भलिभांति स्पष्ट हो जाता है कि उक्त औषधि DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 17A(e) के तहत Adulterated औषधि की परिभाषा में आती है। चूंकि उक्त औषधि अवमानक कोटि की है अतः धारा 16(a) के तहत Not of standard quality की परिभाषा में भी आती है। अभियुक्तगण ने उक्त औषधि का विनिर्माण, संग्रहण वितरण व विक्रय किया जो कि उक्त अधि0 की धारा 18a(i), 18(a)(vi), 18(c) का उल्लंघन होकर उक्त अधि0 की धारा 27(a), 27(b)(i) एवं 27(d) के तहत दण्डनीय है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित है इन हालात में अभियुक्तगण को उक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है।

15/12/16
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलावाड़ (राज.)

आदेश

(1) परिणामतः अभियुक्तगण 1-मैं0 सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी-75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला-गाजियाबाद(उत्तरप्रदेश)-जरिये एस0डी0गर्ग पुत्र श्री के0एस0गर्ग, मेनेजिंग डायरेक्टर, 2-एस0डी0गर्ग पुत्र श्री के0एस0गर्ग, मेनेजिंग डायरेक्टर, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी-75, रूपनगर

इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला–गाजियाबाद(उत्तरप्रदेश) निवास पता–1735/8/2 मंगल बिल्डिंग, भागीरथ पैलेस, देहली–6, **3–एस0के0गर्ग** पुत्र रामप्रसाद गर्ग डायरेक्टर, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी–75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला–गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) निवास पता–240,कादम्बरी अपार्टमेंट, सेक्टर–9, रोहिणी, देहली, **4–श्रीमति मीनाक्षी गर्ग** पत्नी सुखदेव गर्ग, डायरेक्टर, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी–75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला–गाजियाबाद(उत्तरप्रदेश) निवास पता– 289,R-Modal Town सोनीपत(हरियाणा), **5–अनिल कुमार** वार्ष्णेय पुत्र श्री डी0एन0गुप्ता, Approved manufacturing chemist, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी–75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला–गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) निवास पता– 80 साउथ गणेश नगर पटपड़गज रोड़, दिल्ली–110092, **6–अशोक कुमार** पुत्र रामसिंह, Approved manufacturing chemist, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी–75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला–गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) निवास पता–ग्राम अजीतपुरा डा0मेडू, तहसील–हाथरस जिला–अलीगढ, **7–अशोक कुमार शर्मा** पुत्र एस0आर0शर्मा Approved analytical chemist, मैं सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बी–75, रूपनगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोनी, जिला–गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) निवास पता–बी–234लाजपतनगर,साहिबाबाद जिला–गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश), **8–मै0 सिमको रेमीडीज**, 263, पहलामाला, दवा बाजार, 13–14 आर0एन0टी0 मार्ग इन्दौर(म0प्र0)जरिये– मालिक श्री संतोष कुमार ढींग पुत्र समरथमल ढींग, **9–संतोष कुमार ढींग** पुत्र समरथमल ढींग, मोलिक–मै0 सिमको रेमीडीज, 263, पहलामाला, दवा बाजार, 13–14 आर0एन0टी0 मार्ग इन्दौर(म0प्र0) निवास पता– 60, छोटा सर्राफा उज्जैन(म0प0), **10–मैं0 मेडिट्रेड एजेन्सीज** 34–79, एल0जी0, दवा बाजार 13–14 आर0एन0टी0 मार्ग इन्दौर(म0प्र0) जरिये मालिक धर्म

कुमार पुत्र चेतनदास, **11–धर्मकुमार** पुत्र चेतनदास मालिक मैं0 मेडिट्रेड एजेन्सीज 34–79, एल0जी0, दवा बाजार 13–14 आर0एन0टी0 मार्ग इन्दौर(म0प्र0) निवास पता 65 प्रेमनगद, इन्दौर(म0प्र0), **12–मैं0 जैन ट्रेडर्स,** मंगलपुरा झालावाड़(राज0) जरिये मालिक एवं कम्पीटेन्ट व्यक्ति नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र मेघराज जैन एवं **13–**नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र मेघराज जैन मालिक एवं कम्पीटेंट व्यक्ति, मैं0 जैन ट्रेडर्स, मंगलपुरा झालावाड़(राज0) निवास पता वार्ड नं06 मंगलपुरा झालावाड (राज0) को DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 18a(i), 18(a)(vi), 18(c) सपठित धारा 27(a), 27(b)(i) एवं 27(d) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है।

15/1/16

(पवनकुमार वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़(राज0)।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)

दण्डादेश

दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण द्वारा अवमानक एवं अपमिश्रित औषधि का विनिर्माण कर राजकीय अस्पताल में विक्रय किया है जहां आम जन उपचार/स्वास्थ लाभ के लिये आते हैं तथा अधिकांशतः गरीब मजदूर पेशा लोग उपचार हेतु आते है तथा आम जन के स्वास्थय के साथ खिलवाड़ किया गया है ऐसे में अभियुक्तगण के अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को विधि द्वारा विहित कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

2– जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धी का तथ्य भी पत्रावली पर नहीं है। औषधि का विभिन्न मरीजों पर उपयोग किया है

तथा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव एक भी मरीज के शरीर नहीं पाया गया है ना ही किसी को कोई गम्भीर उपहति आयी है, ना ही कोई दुखान्तिका हुई है। इन हालात में अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अख्तियार किया जावे।

3— हमने उभय पक्ष के तर्को पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख का फिर से एक बार सावधानीपूर्वक परीशीलन किया।

4— यह सही है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धी का तथ्य भी पत्रावली पर नहीं है। औषधि का विभिन्न मरीजों पर उपयोग किया है तथा इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव एक भी मरीज के शरीर नहीं पाया गया है ना ही कोई गम्भीर उपहति आयी है, ना ही कोई दुखान्तिका हुई है।

परन्तु अभियुक्तगण द्वारा अवमानक एवं अपमिश्रित औषधि का विनिर्माण, वितरण कर राजकीय अस्पताल में विक्रय किया है जहां आम जन उपचार/स्वास्थ लाभ के लिये आते है तथा अधिकांशतः गरीब मजदूर पेशा लोग होते है तथा आम जन के स्वास्थय के साथ खिलवाड़ किया गया है ऐसे में अभियुक्तगण के प्रति नरमी बरते जाने से समाज में गलत संदेश जायेगा व मिलावटी दवाईयों के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति/अपराधियों के हौसले बुलन्द होगें इन हालात में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्याय के उददेश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक हो जाता है।

5— अभियुक्तगण 1—मैं0 सिस्टोकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, 2—मैं0 सिमको रेमीडीज, 3—मैं0 मेडिट्रेड एजेन्सीज एवं 4—मैं0 जैन ट्रेडर्स, मंगलपुरा झालावाड़(राज0) जो कि एक <u>फर्म/कम्पनी है,</u> प्रत्येक को DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 27(a), 27(b)(i) एवं 27(d) के अपराध में क्रमशः 20,000—20,000/—रूपये (इस प्रकार प्रत्येक अभियुक्त पर 60,000/—रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज.)

6— अभियुक्तगण 5—एस0डी0गर्ग, 6—एस0के0गर्ग, 7—श्रीमति मीनाक्षी गर्ग 8—अनिल कुमार, 9—अशोक कुमार, 10—अशोक कुमार शर्मा, 11—संतोष कुमार ढींग, 12—धर्मकुमार एवं 13—नरेन्द्र कुमार जैन, **प्रत्येक को** DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 27(a) के अपराध में 03 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

7— अभियुक्तगण 5—एस0डी0गर्ग, 6—एस0के0गर्ग, 7—श्रीमति मीनाक्षी गर्ग 8—अनिल कुमार, 9—अशोक कुमार, 10—अशोक कुमार शर्मा, 11—संतोष कुमार ढींग, 12—धर्मकुमार एवं 13—नरेन्द्र कुमार जैन, **प्रत्येक को** DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 27(b)(i) के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

8— अभियुक्तगण 5—एस0डी0गर्ग, 6—एस0के0गर्ग, 7—श्रीमति मीनाक्षी गर्ग 8—अनिल कुमार, 9—अशोक कुमार, 10—अशोक कुमार शर्मा, 11—संतोष कुमार ढींग, 12—धर्मकुमार एवं 13—नरेन्द्र कुमार जैन, **प्रत्येक को** DRUG AND COSMETICS ACT,1940 की धारा 27(d) के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

9— अभियुक्तगण की सभी मूल सजाऐं साथ—साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को द0प्र0सं0 की धारा 428 के तहत मूल सजा में समायोजित किया,

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)

10— प्रकरण में लिये गये शेष सेम्पलों को बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित कर दिया जावे।

15/12/16
(पवनकुमार वर्मा)
अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़(राज0)।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 15.12.2016 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

15/12/16
(पवनकुमार वर्मा)
अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़(राज0)।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज.)